"अतिआवश्यक"

राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर
दूरभाष – 0141–2201061

क्रमांकः–एफ.1(ए)125/संस्था/बीमा/2019/ **दिनांक** 24-07-2019

आदेश 181

वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप.1(4)वित्त/नियम/2008 दिनांकः 17.02.2012 के अनुसरण में तथा विभागीय आदेश क्रमांकः 72 दिनांक 22.05.2019 की निरन्तरता में विभाग में कार्यरत कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा उनके आकस्मिक अवकाश खाते में पर्याप्त शेष होते हुए भी एक/दो दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का निवेदन किया जाता है। अतः समस्त अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि (अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अतिरिक्त) उनके अधिनस्थ अधिकारियों एवं कार्मिकों के आकस्मिक अवकाश खाते में पर्याप्त शेष होने पर **एक/दो दिवस का सर्वप्रथम आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जावें,** अवकाश खाते में पर्याप्त आकस्मिक अवकाश शेष नहीं होने पर ही उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जावे। कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा यदि **उपार्जित अवकाश स्वीकृत कराये बिना अवकाश का उपभोग किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावे।**

राजस्थान सेवा नियम खण्ड–1 के अध्याय–11 के अनुभाग–02 के नियम 91 के अनुसार ही उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जावे।

यह भी स्पष्ट निर्देश दिये जाते है कि कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा(अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अतिरिक्त) अवकाश स्वीकृति के पश्चात् ही अवकाश पर प्रस्थान किया जावे। कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा **लंबी अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु कम से कम 21 दिवस पूर्व अवकाश आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावे**, ताकि सक्षम अधिकारी द्वारा यथोचित निर्णय लेकर अवकाश प्रारम्भ होने से पूर्व ही स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में सम्बन्धित को सूचित किया जा सके।

उक्त आदेश की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

(आनन्द स्वरूप)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(ए)125/संस्था/बीमा/2019/ 4607 - 4660 दिनांक 24-07-2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं **पालनार्थ** प्रेषित है:–

1. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय/संभाग/साबीयो/जिला कार्यालय राजस्थान को पालनार्थ।
2. सिस्टम एनालिस्ट/संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट http:/sipf.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
3. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय/संभाग/साबीयो/जिला कार्यालय राजस्थान को लेख है कि उक्त आदेश की प्रति स्वयं के स्तर पर संबंधित कार्मिकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
4. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड मुख्यालय।

23/7/19
(के. एम. दूडिया)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग
राजस्थान जयपुर